

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/सेनि. 2024 पार्ट-3/2024/26993/132 दिनांक:- 30/5/2024

:-आदेश:-

निम्नांकित नर्सिंग कार्मिक जो 60 वर्षीय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	योगेन्द्रसिंह भाटी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जैसलमेर	01.06.1964	31.05.2024
2	नन्द किशोर शर्मा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जोधपुर	10.06.1964	30.06.2024
3	शक्ति सिंह खीची	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	सिरोही	01.07.1964	30.06.2024
4	लक्ष्मी डिन्डोर	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	भीलवाडा	02.07.1964	31.07.2024
5	सतीश चन्द्र चौधरी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	अलवर	21.07.1964	31.07.2024
6	रामचन्द्र ढाका (विश्वनोई)	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	बालोतरा	22.07.1964	31.07.2024
7	सारिका शर्मा	नर्सिंग अधीक्षक	जयपुर	08.08.1964	31.08.2024
8	उषा कुमारी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	भरतपुर	25.09.1964	30.09.2024
9	जंगलिया राम	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	दौसा	08.10.1964	31.10.2024
10	सुमन उपाध्याय	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	अजमेर	05.12.1964	31.12.2024
11	विनिता हाबिल	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	अजमेर	08.12.1964	31.12.2024
12	गजराज सिंह	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	अलवर	11.12.1964	31.12.2024
13	प्रकाशपुरी गोस्वामी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	पाली	01.01.1965	31.12.2024

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:- कार्मिकों के विरुद्ध आपके कार्यालय स्तर पर भी विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित है या नहीं सुनिश्चित करावें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

शेष पृष्ठ 2 पर

RajKaj Ref
7566504

पृष्ठ संख्या 2

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/सेनि. 2024 पार्ट-3/2024/26993/192

दिनांक:- 30/5/2024

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, (क.रा.बी. योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी अनुभाग (अराजपत्रित/राजपत्रित), मुख्यालय।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
13. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7566504

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :30-05-2024 06:44:21